न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बाबुलाल जाट (RAS)

राजस्व वाद संख्या 402 / 2020 **RCMS 2020/00542**

प्रार्थी

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

अप्रार्थी

1. किशनाराम पुत्र नन्दाराम मेघवाल निवासी सबलपुरा तहसील कुचामनसिटी

प्रार्थना–पत्र– अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– तहसीलदार कुचामनसिटी प्रार्थी की ओर से।

आदेश

दिनॉक :– 8/3/2021

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि किशनाराम पुत्र नन्दाराम मेघवाल की भूमि की जांच भू.अ.निरीक्षक जिलिया से करवाई गई जिसके अनुसार ग्राम आसपुरा के खसरा नम्बर 110 रकबा 8.55, खसरा नम्बर 118 रकबा 13.52 हैक्टर कुल रकबा 22.07 हैक्टर भूमि का खातेदार द्वारा आपसी सहमति पूर्वक बंटवारा तहसीलदार कुचामनसिटी के समक्ष पेश किया जो स्वीकार होकर 17.05.2019 को स्वीकार किया गया, बंटवारा प्रस्ताव के साथ संलग्न नजरी नक्शा अनुसार खातेदार भोलू पुत्र मोती मेघवाल सा. देह खातेदार को खसरा नम्बर 110 में से दक्षिणी पूर्वी कोने पर 2.9952 हैक्टर भूमि तथा इसी के सामान्तर खसरा नम्बर 118 में से दक्षिणी पूर्वी में 0.2470 हैक्टर भूमि दर्शायी गयी है, इसी नजरी नक्शा अनुसार तरमीम की जानी थी परन्तु सहवन से लिपिकीय भूलवश भोलू पुत्र मोती मेघवाल की खसरा नम्बर 118 रकबा 0.2770 हैक्टर भूमि मे से नये खसरा नम्बर 744 / 118 अंकित करते हुये खातेदार किसनाराम पुत्र नन्दाराम मेघवाल निवासी सबलपुरा के हिस्से की भूमि पर दक्षिण की तरफ अशुद्व रूप से तरमीम कर दी गई तथा इसी प्रकार भोलू पुत्र मोती मेघवाल की खसरा नम्बर 118 रकब 0.2470 हैक्टर भूमि को रास्ता जैसी आकृति होने के कारण लिपिकीय भूल से [illegible] रास्ता खसरा नम्बर 739 / 118 रकबा 0.7340 हैक्टर में अशुद्व रूप से तरमीम [illegible] दी गई, बंटवारा प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार खसरा नम्बर 118 रकबा 0.2470 के समानान्तर दर्ज किया जाना प्रस्तावित है उक्त संशोधन हेतु खातेदार ने भू.अ. नि. जिलिया द्वारा तैयार फर्द मौके [illegible] सहमति के हस्ताक्षर भी किये है, तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत कर कथन किया है कि संशोधन आदेश प्रदान फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:19:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

प्रार्थना प्रत्र दर्ज रजिस्टर कर सुनवाई की गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। तहसीलदार कुचामनसिटी के समक्ष दिनॉक 17.05.2019 को प्रस्तुत आपसी सहमति से प्रस्तुत बंटवारा को स्वीकार किया गया, परन्तु नक्शे में तरमीम करते समय प्रश्नगत खसरान की भूमि को नक्शा ट्रेस में रास्ते के रूप में गलत दर्शा दिया गया जबकि प्रस्तुत सहमति बंटवारा में प्रश्नगत भूमि को सही दर्शाया गया है जिसे दुरूस्त कराने बाबत किशनाराम पुत्र नन्दाराम मेघवाल निवासी सबलपुरा द्वारा दिनॉक 10.09.2020 को तहसीदार कुचामनसिटी के समक्ष उपरोक्त दुरूस्ती सही करने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया, जिसकी छाया प्रति भू.अ.निरीक्षक कुचामनसिटी को उनके पत्रांक/988 दिनॉक 10.09.2020 को भेजी जाकर रिपोर्ट चाही गई, भू.अ.निरीक्षक जिलिया द्वारा दिनॉक 21.09.2020 को जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसकी मुताबिक खसरा नम्बर 118 रकबा 0.2470 हैक्टर भूमि जो भोलू पुत्र मोती मेघवाल की खातेदारी की है, जिसकी तरमीम खसरा नम्बर 118 के दक्षिणी पूर्वी कोने पर खसरा नम्बर 749/110 के समानान्तर दर्ज किया जाना उचित है इसी अनुसार मौके पर खातेदार किशनाराम पुत्र नन्दाराम मेघवाल नि. सबलपुरा एंव भोलू पुत्र मोती मेघवाल सा. देह खातेदार मौके पर काबिज है खातेदारो के सहमति के हस्ताक्षर करवाकर फर्द उक्त प्रार्थना–पत्र के साथ इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

आदेश

उपरोक्त प्रकरण के विवेचन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत प्रकरण में उक्त सुधार किया जाना न्यायोचित है, किशनाराम पुत्र नन्दाराम मेघवाल एवं भोलू पुत्र मोतीराम मेघवाल राजस्व रिकार्ड एवं ऑनलाईन कार्य नक्शें स्वीकृति विभाजन एवं नामान्तरकरण सं. 772 दिनॉक 17.05.19 एवं 829 दिनॉक 13.06.19 के अनुरूप नही है। अतः राजस्व रिकार्ड ऑनलाईन नक्शे में खसरा नम्बर 743/118 व 744/118 को एक रकबा खसरा नम्बर 743/118 किशनाराम पुत्र नन्दाराम मेघवाल के नाम दर्शाया जावे, राजस्व रेकर्ड एवं ऑनलाईन नक्शे में खसरा नम्बर 744/118 के पूर्व में दिखाये गये रास्ते की जगह रकबा खसरा नम्बर 744/118 भोलू पुत्र मोतीराम मेघवाल के नाम दर्शाया जावे। उक्त अनुसार राजस्व रेकार्ड एवं नक्शें में दुरूस्ती हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी के नाम तहरीर जारी हो।

आदेश आज दिनॉक 8/3/2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबुलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.04.23 16:19:40 IST
Reason: SelfAttested